

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 08/03/2017 को जोनल अधिकारी श्री पुष्कर श्रीवास्तव के नेतृत्व में जोन संख्या 2 व 4 के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 6 अवैध निर्माणों को सील किया गया। जो निम्नवत है।

1. श्री सुबोध सिंह 278/43 ए तालाब नवल राय भूतल पर लगभग 20X70 के क्षेत्रफल में निर्माण सील।
2. श्री कमलेश केसरवानी केयर आफ श्री नीरज जायसवाल मकान न0 53/38 बाई का बाग पर संचालित व्यवसायिक बियर्स माडल शाप सील।
3. श्री रजनीश केसरवानी व श्री मनीष केसरवानी मकान न0 178 खलासी लाइन कीटगंज जी +श्री स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण सील।
4. श्रीमती आशा सांहू पत्नी श्री छेदीलाल सांहू मकान न0 176 त्रिवेणी रोड खलासी लाइन कीटगंज भूतल पर व्यवसायिक + प्रथम एवं द्वितीय तल का निर्माण सील।
5. श्रीमजी रंजना जायसवाल 551/1 सड़वा कला मिर्जापर रोड नैनी का निर्माण सील।
6. श्री विनोद कुमार शुक्ला सड़वा कला मिर्जापर रोड नैनी पूर्व में सील निर्माण को पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ पाये जाने की दशा में सील।
इसी क्रम में जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में सुलेमसराय क्षेत्र में श्री प्रदीप कुमार गुप्ता द्वारा अवैध रूप से संचालित कमल उत्सव बारात घर सील।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त अवर अभियन्ता ए0के0सिंह, श्री अनिल सिंह भवन निरीक्षक श्री विजय शंकर पाण्डेय, एडीए प्रवर्तन दल एव पुलिस बल उपस्थित रहें।

/

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

प्रतिलिपि:— सम्पादक—समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क